



2026:AHC:3469

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 19701 वर्ष 2025

अरविंद कुमार सक्सेना

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता : अरुण कुमार त्रिपाठी

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अरुण कुमार त्रिपाठी और राज्य के विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री पी. के. श्रीवास्तव के तर्कों को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि वह 30.04.2025 को सब-इंस्पेक्टर के पद से सेवानिवृत्त हुए। याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति के बाद, 29.05.2025 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिस पर याचिकाकर्ता ने अपना जवाब दिया, लेकिन कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
3. विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि चाहे कुछ भी हो, याचिकाकर्ता के दावे का प्रथम दृष्ट्या प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा निपटारा किया जाना आवश्यक है।
4. इस प्रकार की तर्कों पर याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है और वे इसे सहर्ष स्वीकार करते हैं।
5. दोनों पक्षों के निवेदन और उनके रुख पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निपटारा करते हुए याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता दी जाती है कि वह याचिका की स्व-सत्यापित प्रति सहित एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रति प्रतिवादी संख्या 3 - पुलिस अधीक्षक, फतेहगढ़ के समक्ष प्रस्तुत

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



करे, जो अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, याचिकाकर्ता को आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, कानून के अनुसार याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय करेगा।

7 जनवरी, 2026

आर.एस. तिवारी

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version. Not For Legal Use.